



















## माजपा ओबीसी मोर्चा खलारी मंडल की कार्यसमिति बैठके कर संगठन विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा किया गया

प्रभात मंत्र संवाददाता

खलारी : भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा खलारी मंडल की कार्यसमिति बैठक मंडल अध्यक्ष मिथुलेश प्रजापति की अवक्षत में गुरुवार को चुरी मध्य पंचायत सचिवालय में किया गया। कार्यसमिति को बैठक में बैठकर मुख्य अतिथि भाजपा खलारी मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं पंचायत शर्मा के द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के छाग चित्र के समक्ष दीप, धूप प्रज्ञलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में वर्तमान में झारखण्ड सरकार की ओबीसी



के छाग चित्र के समक्ष दीप, धूप प्रज्ञलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में वर्तमान में झारखण्ड सरकार की ओबीसी

जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष ने भाजपा के मूल मिठाओं एवं नीतियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार की अब तक की व्यवहारिकों पर जानकारी दी। वहाँ ओबीसी आयोजित, इसोरेंस, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं संसाक्षणक शिक्षा आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने व्यवहारिक सम्बन्धों, सदस्यों की उपस्थिति, अनुशासन, सदस्यता बढ़ाने, पार्टी की उपलब्धि एवं योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने आदि विषयों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा और विस्तृत

वर्ग है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की दशा एवं दिशा तैयार करने में अहम योगदान होता है। परंतु ओबीसी वर्ग जातियों में विभक्त है। वहाँ मध्यस्थी को एक साथ लेकर चलना है। द्यमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नारा : संसाक्षण साथ सबका विकास। जन जन तक पहुंचाना है। वही जिला परिसद ने कहा कि झारखण्ड सरकार ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना विस्तृतीय चुनाव करा कर ओबीसी को प्रतिनिधित्व से विविध रथ। इस बात पर ओबीसी मोर्चा भारी रोशनी का व्यक्त किया, समय पर इसका जवाब देने की बात कही।

### जवाहर नवोदय विद्यालय, चतरा (झारखण्ड)

#### आम सूचना

जवाहर नवोदय विद्यालय चतरा में सत्र 2024-25 कक्षा - 6 में नामांकन (जो ज.न.वि.सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा होता है) हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन - पत्र आमंत्रित किया जाता है।  
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पार्टल खुला है - 20/06/2023 से आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 10/08/2023  
प्रवेश परीक्षा की तिथि :- 20/01/2024 (शनिवार)  
अधिक जानकारी समिति की वेबसाइट [www.navodaya.gov.in](http://www.navodaya.gov.in)  
अथवा कार्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, चतरा से संपर्क करें।  
आवेदन हेतु लिंक :-  
<https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/?AspxAutoDetectCookieSupport=1>

प्राचार्य  
PR 300653 School Education and Literacy(23-24)D

प्राचार्य  
जोन0विभाग, चतरा |

### कार्यपालक अभियंता का कार्यालय भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, रामगढ़

#### १: सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0- 24 /2022-23 जिसकी PR 291780 Building(2022-23)\_D के क्रम सं0-01 को छोड़कर क्रम सं0-02, 03 एवं 04 को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। निविदा के अन्य शर्तें एवं सूचनाएँ यथावत रहेगा।

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, रामगढ़

PR300684 (Building)23-24\*D

कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमण्डल, रामगढ़

### जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार

#### संशोधित

मत्स्य स्पॉन आपूर्ति हेतु सरकारी मान्यता प्राप्त हैरी संचालकों से अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण में PR300179FISH(23-24)D दिनांक 16.06.2023 को की गयी थी। निविदा के शर्तों में आंशिक संशोधन किया गया है। निविदा की आंशिक संशोधन की शर्तों को [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। निविदा दिनांक 27.06.2023 के अपराह्न 1:30 बजे तक यदि प्रथम तिथि पर किसी कारणवश निविदा रद्द होने पर क्रमशः दिनांक 06.07.2023, दिनांक 13.07.2023 को अपराह्न 1:30 बजे तक जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार में आमंत्रित की जाती है एवं निविदा उप विकास आयुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2023 को अपराह्न 3:30 बजे, यदि प्रथम तिथि पर नहीं होने पर क्रमशः दिनांक 06.07.2023, दिनांक 13.07.2023 को अपराह्न 3:30 बजे तक उप विकास आयुक्त/अपराह्न समाहर्ता, लातेहार के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

PR300629 (Fish)23-24\*D जिला मत्स्य पदाधिकारी लातेहार

### कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची

#### प्रेस विज्ञप्ति

श्री अतुल सुशांत मिज, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची दिनांक 20.12.2020 से 29.12.2020 तक के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अद्यावधि तक अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित है। श्री मिज को कार्यालय के कई पत्रों द्वारा योगदान देने हेतु निदेश दिया गया, परंतु उनके द्वारा आज तक अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमाली के विरुद्ध है। इस संबंध में दिनांक 05.10.2021 एवं 28.01.2023 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गयी थी। परंतु अद्यावधि तक श्री मिज द्वारा अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/पक्ष कार्यालय में जाम किया गया।

पुनः इस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री अतुल सुशांत मिज, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची दिनांक 25.06.2023 तक अन्यायिक रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.06.2023 तक अपना योगदान देने एवं पक्ष रखने हेतु अधीक्षकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निवारित तिथि तक योगदान नहीं करने एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना है। इस परिस्थिति में विभाग अपना एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

पुनः इस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री अतुल सुशांत मिज, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची दिनांक 25.06.2023 तक अन्यायिक रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.06.2023 तक अपना योगदान देने एवं पक्ष रखने हेतु अधीक्षकारी कार्यालय में अनुपस्थित है। श्री मिज को कार्यालय के कई पत्रों द्वारा योगदान देने हेतु निदेश दिया गया, परंतु उनके द्वारा आज तक अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमाली के विरुद्ध है। इस संबंध में दिनांक 05.10.2021 एवं 28.01.2023 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गयी थी। परंतु अद्यावधि तक श्री मिज द्वारा अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/पक्ष कार्यालय में जाम किया गया।

पुनः इस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री अतुल सुशांत मिज, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची दिनांक 25.06.2023 तक अन्यायिक रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.06.2023 तक अपना योगदान देने एवं पक्ष रखने हेतु अधीक्षकारी कार्यालय में अनुपस्थित है। श्री मिज को कार्यालय के कई पत्रों द्वारा योगदान देने हेतु निदेश दिया गया, परंतु उनके द्वारा आज तक अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमाली के विरुद्ध है। इस संबंध में दिनांक 05.10.2021 एवं 28.01.2023 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गयी थी। परंतु अद्यावधि तक श्री मिज द्वारा अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/पक्ष कार्यालय में जाम किया गया।

पुनः इस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री अतुल सुशांत मिज, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची दिनांक 25.06.2023 तक अन्यायिक रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.06.2023 तक अपना योगदान देने एवं पक्ष रखने हेतु अधीक्षकारी कार्यालय में अनुपस्थित है। श्री मिज को कार्यालय के कई पत्रों द्वारा योगदान देने हेतु निदेश दिया गया, परंतु उनके द्वारा आज तक अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमाली के विरुद्ध है। इस संबंध में दिनांक 05.10.2021 एवं 28.01.2023 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गयी थी। परंतु अद्यावधि तक श्री मिज द्वारा अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/पक्ष कार्यालय में जाम किया गया।

पुनः इस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री अतुल सुशांत मिज, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, रौंची दिनांक 25.06.2023 तक अन्यायिक रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.06.2023 तक अपना योगदान देने एवं पक्ष रखने हेतु अधीक्षकारी कार्यालय में अनुपस्थित है। श्री मिज को कार्यालय के कई पत्रों द्वारा योगदान देने हेतु निदेश दिया गया, परंतु उनके द्वारा आज तक अपने कर्तव





